

प्र0स0 – 61/17

उनवान

- 1 मिश्री पिता देबी जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 2 सांवरमल पिता जमना जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 3 दिनेश पिता जमना जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 4 सुमित्रा पिता जमना जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 5 लादी पत्नि जमना जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 6 छोटु पिता देबी जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 7 बाली बैवा देबी जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)

—————(प्रार्थीगण)

बनाम

1. लादु पिता रामचन्द्र जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. नारायण पिता देवकरण जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. गोपाल पिता रामसुख जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. शंकर पिता रामसुख जाट निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. एस0बी0बी0जे0 सरदारनगर जरिये मेनेजर एस0बी0बी0जे0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा

—————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 15.05.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 15.05.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सरदारनगर पटवार मण्डल सरदारनगर भू0अ0नि0 उपरेडा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 863 के आ0न0 1839 कुल किता 01 कुल रकबा 01-19 बीघा, स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प सरदारनगर में दिनांक 15.05.2017 के लि पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों की जरिये सूचनापत्र तलबी की गई। विपक्षीगण केम्प में अनुपस्थित। तथा प्रकरण में राज्य पक्ष तहसीलदार बनेड़ा से रिपोर्ट पटवारी हल्का सरदारनगर प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सरदारनगर पटवार मण्डल सरदारनगर भू0अ0नि0 उपरेडा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 863 के आ0न0 1839 कुल किता 01 कुल रकबा 01-19 बीघा, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक उपरेडा को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम सरदारनगर में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 15.05.2017